वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं० 427

No. 5-1(39)/2008-PD

Dated 16th September, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान।

Sub: Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts filled by promotion.

विषय : पदोन्नित द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षण।

महोदय,

मुझे भारत सरकार के कार्मिक, लोक तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 29.07.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36028/21/2008-Estt.(Res.) की प्रति आपको सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) O.M. No. 36028/21/2008-Estt.(Res.) dated 29.07.2008 for information, compliance and necessary action.

भवदीय,

16/9/08
(पी.मनीष. थियोडोर)
अनुभाग अधिकारी

संलग्न: यथोपरि:

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एंव लेखा अधिकारी/ वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव
7. उप सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(कामपलैक्स) आपको सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
8. प्रधान यूआरडीपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/ इस्टैड
9. विधि सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी उपसचिव/अवरसचिव
11. प्रधान, आरऐबी, सीएसआईआर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं.80, लखनऊ
13. प्रधान, IT Division - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd ernet.in

No.36028/21/2008-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, Dated the 29th July, 2008.

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- **Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts filled by promotion.**

The undersigned is directed to say that as per Ministry of Home Affairs O.M. No. 1/12/67-Estt. (C) dated 11.7.68, there was no reservation for the scheduled caste and scheduled tribe employees in the matter of promotion by selection from Group C to Group B, within Group B and from Group B to the lowest rung or category in Group A. However, that O.M. contained a provision that while assessing the scheduled caste and scheduled tribe employees for such promotions, they would be given one grading higher than the grading otherwise assignable to them on the basis of their record of service. The Government vide Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No.10/41/73-EStt. (SCT) dated 20.7.1974 withdrew the above provision and introduced reservation for SCs and STs in the matter of promotion by selection from Group 'C' to Group 'B', within Group 'B' and from Group 'B' to the lowest rung of Group 'A' posts.

11.7.1968

2. This Department has been receiving references seeking clarification whether the provision of giving higher grading as provided in the O.M. dated 11.6.1968 still continues. It is hereby clarified that that provision does not exist anymore.

3. All Ministries/ Departments are requested to bring the contents of this O.M. to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director
Tele: 23092158

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

सं. 36028/21/2008-स्था (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के दिनांक 11.7.68 के का.ज्ञा. संख्या 1/12/67-(ग) के अनुसार चयन द्वारा समूह 'ग' से समूह 'ख', समूह 'ख' के भीतर तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के निम्नतम स्तर तक पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था । तथापि उस का.ज्ञा. में एक उपबंध था कि ऐसी पदोन्नतियों के लिए अनु0 जा0 तथा अनु0ज0जा के कर्मचारियों का आकलन करते समय उन्हें उनकी सेवा के रिकार्ड के आधार पर अन्यथा मिलने वाली ग्रेडिंग से एक ग्रेडिंग ऊपर दी जाएगी । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 20.7.1974 के का.ज्ञा.संख्या 10/41/73-स्था (एससीटी) द्वारा उपर्युक्त उपबंध को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर समूह 'ग' से समूह 'ख', समूह 'ख' के भीतर तथा समूह 'ख' से समूह 'क' पदों के न्यूनतम स्तर तक चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया ।

2. इस विभाग से दिनांक 11.6.1968 के उपर्युक्त का.ज्ञा. के संदर्भ में समय-समय पर यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहता है कि क्या अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के कर्मचारियों की ग्रेडिंग को एक ग्रेडिंग ऊपर करने वाला प्रावधान अभी भी मौजूद है । यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था अब विद्यमान नहीं है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158

→